भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3013

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य योजना

3013. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री लुम्बा राम:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री दिलीप शइकीया:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री विजय कुमार दूबे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मिशन वात्सल्य कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषता, लक्ष्य और उद्देश्यों सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उक्त मिशन की उपलब्धियों को जांचने के लिए कोई आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन और महाराष्ट्र में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए अपने निर्दिष्ट कल्याण लक्ष्यों को किस सीमा तक पूरा करने में सक्षम रही है;

(घ) विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उक्त क्षेत्रों में वर्ष 2023-24 में गोद लिए गए बच्चों की संख्या कितनी है और संस्थागत देखरेख में कितने बच्चे हैं;

(ड.) उक्त मिशन के अंतर्गत जीविका स्थितियों और संभावनाओं में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इसके कार्यान्वयन में किसी चुनौती या कमी को चिन्हित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को सहायता प्रदान करना है। मिशन वात्सल्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं /कार्यक्रम तैयार करते समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। इन उद्देश्यों में बच्चों के लिए आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन आउटरीच सेवाओं की स्थापना और संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। इस मिशन के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) *अन्य बातों के साथ-साथ* आयु के अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श प्रदान करते हैं।

उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों - हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर, जहां लागत साझाकरण 90:10 के अनुपात में है, सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियां केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती हैं। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में 100% लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

मिशन वात्सल्य योजना की मुख्य विशेषताओं में *अन्य बातों के साथ-साथ* संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल (प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात देखभाल) को मजबूत करना, प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना, 24x7x365 चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) सेवाएं, विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं समीक्षा और अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ तालमेल शामिल हैं। इसमें राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग): तत्कालीन बाल संरक्षण सेवा योजना का मूल्यांकन किया गया था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग ने 2020 में पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना सहित महिला एवं बाल विकास की सभी योजनाओं का एक मूल्यांकन अध्ययन किया जिसे मिशन वात्सल्य में शामिल कर लिया गया है। इस अध्ययन में मंत्रालय की योजनाओं की प्रभावशीलता, क्षमता, प्रभाव आदि जैसे व्यापक पहलू शामिल किए गए थे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह अध्ययन किया गया था।

इस अध्ययन के निष्कर्षों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना का कार्यान्वयन जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है और इससे वैधानिक सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाने में योगदान मिला है।

(घ): वर्ष 2023-24 के दौरान 3580 बच्चों को देश के भीतर और 449 बच्चों को देश के बाहर गोद लिया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना की संस्थागत देखभाल के तहत सहायता प्रदान किए गए बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ङ) और (च): मिशन वात्सल्य योजना जो कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनः एकीकरण प्रदान करती है, के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई जिला मजिस्ट्रेट के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करती है ताकि सेवा वितरण संस्थानों यानी बाल देखभाल संस्थानों और उनमें प्रदान की जाने वाली देखभाल की समीक्षा, निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और कमियों को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों और अन्य जैसे कई हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है।

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और परामर्शिकाएं जारी की हैं। इनमें मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देश, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश 2024 शामिल हैं।

इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क भी करता है। इसने इस योजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और लागू करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत के बाद से क्षेत्रीय सम्मेलन और संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"मिशन वात्सल्य योजना" के संबंध में श्री हरेन्द्र सिंह मलिक,श्री कंवर सिंह तंवर, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री लुम्बा राम,श्री विद्युत बरन महतो, श्री दिलीप शइकीया, श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्र सिंह बारैया, श्री भर्तृहरि महताब और श्री विजय कुमार दूबे द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3013 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना की संस्थागत देखभाल के तहत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	1546
2	अरुणाचल प्रदेश	206
3	असम	1241
4	बिहार	2227
5	छत्तीसगढ़	1843
6	गोवा	461
7	गुजरात	3195
8	हरियाणा	963
9	हिमाचल प्रदेश	926
10	जम्मू और कश्मीर	1104
11	झारखंड	1238
12	कर्नाटक	3110
13	केरल	776
14	मध्य प्रदेश	2597
15	महाराष्ट्र	3495
16	मणिपुर	2295
17	मेघालय	1031
18	मिजोरम	1172
19	नागालैंड	562
20	उड़ीसा	4431
21	पंजाब	533
22	राजस्थान	2733
23	सिक्किम	468
24	तमिलनाडु	10118
25	तेलंगाना	2243
26	त्रिपुरा	948
27	उत्तर प्रदेश	3226
28	उत्तराखंड	589
29	पश्चिम बंगाल	4744
30	अंडमान और निकोबार	274
31	चंडीगढ़	222
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	36
33	लद्दाख	84

34	लक्षद्वीप	0
35	दिल्ली	1216
36	पुदुचेरी	739
कुल		**62592**

*****